PGMS में सिर्फ एक फोन कॉल पर होता है
जन शिकायतों का शीघ्र समाधान

झारखण्ड सरकार के द्वारा लागू इस व्यवस्था से आम लोग हो रहे लाभांवित

झारखंड सरकार की अच्छी पहल की लोगों ने की प्रशंसा

लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली में होती है त्वरित कार्रवाई

खबर मन्त्र संवाददाता

हजारीबाग। नगर विकास एवं आवास विभाग,झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के सभी शहरी नगर निकायों के लिये लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली(पीजीएमएस)लागू किया गया है। इसमें विकास एवं आवास विभाग से संबंधित शिकायते सुनी जाती हैं एवं उसका तत्काल निवारण करने का प्रयास किया जाता है। सफाई से संबंधित, गली या रोड निर्माण, होल्डिंग नंबर, अवैध निर्माण व नक्शा, अतिक्रमण, जलापुर्ति, फोगिंग, तालाब शुद्धिकरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, एलईडी लाईट, मृत पशु हटाने संबंधित शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया जाता है। इस संबंध में हजारीबाग निवासी रामचंद्र राम ने कहा कि उनके मुहल्ले में काफी महीनों से एलईडी लाईट खराब थी। वे नगर निगम में शिकायत कर थक चुके थे। जब उन्हें लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होने उसमें दिये गये वाट्स एप्प नंबर 7633928444 पर अपनी समस्या को लिखा। जिसके बाद आधे घंटे के अंदर उधर से कॉल आया जिसमें एक महिला ने उनसे सारी जानकारी मांगी। जानकारी के तीन घंटे बाद उनके शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एलईडी लाईट बना दी गयी। रामचंद्र ने कहा कि ये झारखंड सरकार का सराहनीय पहल है। लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। शिकायत करने हेतू टोल फ्री नंबर 1800-120-2929, 0651-712-2727 व वाट्स एप्प नंबर 7633928444 पर शिकायत दर्ज किया जाता है।

राज्य के नगर निकाय क्षेत्र के निवासी निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर PGMS में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

- **Toll free no.: 1800-120-2929**
- **Whatsapp/SMS: 7633928444**
- **Landline no.: 0651-712-2727**
- **Website: pgms.dmajharkhand.in**
- **Email : info@dmajharkhand.in**

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Follow us on : @JharkhandDMA